



6/1/60 23
5/5/60

11200

14/7

8563.64

6441.42

14/7

127

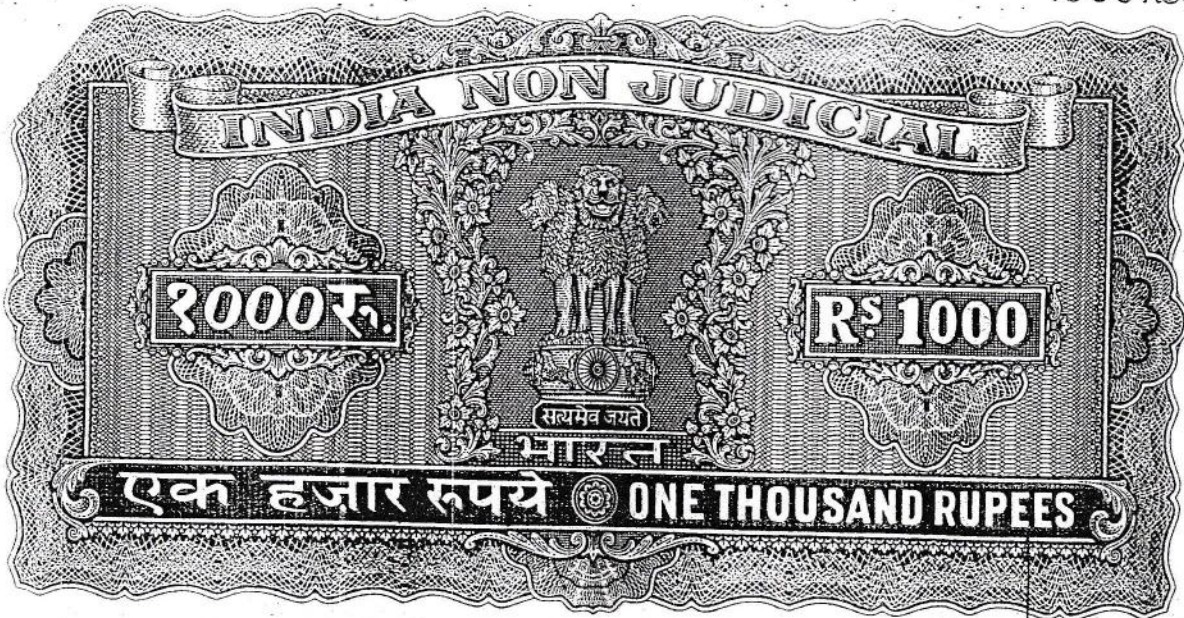
1 लेख्यकारिणी का नाम एवं पुरा पता:-

श्रीमती नीति श्रीवास्तव धर्मपति- श्री परशुराम प्रसाद
श्रीवास्तव पेशा- खेती वो गृहणी साकिन- रामपुर, थाना वो
पोस्ट- रामनगर, जिला- बनारस, (यू0पी0) भारतीय नागरिक।

दालन पता- "रंगमण्डल" न्यूवेली रोड, रामपुर- पटना-
द्वारा डा० विजय कुमार (श्रीवास्तव)

नीति श्रीवास्तव

श्रीमती नीति श्रीवास्तव द्वारा लिखा सो सही
मार्गज खुद के कर सम्पत्ति लिखा।
कुल रुपया कबल लिखल पाया
14-7-07



2. लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता :-

श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता- स्व. चन्द्रिका लाल प्रसाद- खेतौ की व्यवसाय, साकेत- गोविन्दपुर, थाना का पारस- फतुहा जिला- पटना भारतीय नागरिक।

3. लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद बिक्रय-पत्र (Deed of Absolute sale)

4. मूल्य :-

मो० 72,000/- बहत्तर हजार रुपये मात्र होता है।

5. सम्पत्ति का विवरण :-

मवाजी 9 डीसमील (नौ डीसमील) भूमि आवारीय जिराका अधिकार कास्त खेतौ कायमी नमदी बकें मौजा- बुबकपुर, पणाना- फुलवारी, थाना का सब सजेष्ट्री दानापुर शहर सजेष्ट्री की जिला पटना। तौजी न०- 5059, थाना न० 35 पैतीस, खाता न० 81 एकारी, सर्वे खरास प्लॉट न०- 125 एक सौ पच्चीस में से लगान वार्षिक 100 रुपये अन्वये रोस बिहार सरकार द्वारा अचलाधिकारी, दानापुर, अन्दर पटना

सही नीति अधिवारत

14.7.03

गवाह 350 विजयपुरमाजीवास्तव

समयिका कलसि

समयिका पटना

14.7.03

विजयपुरमाजीवास्तव

100Rs.



विकास प्राधिकार क्षेत्र में स्थित है। इसका जमाबंदी नं० 76/क सन् 1997-1998 ई० है। यह भूमि खास महार के बाहर है। यह कि खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति को बिक्री खरीद हेतु लेख्यकारिणी एवं लेख्यधारी ने तारीख-03-05-2003 ई० को सक्षम पदाधिकारी, (उप-समाहर्ता) पटना के कार्यालय में आवेदन दिया है, जिसका क्रमांक 4112/2003 ई० है। साठ दिनों की अवधि समाप्त है। कोई आपत्ति नहीं है। कार्यपालक दण्डाधिकारी, धानापुर के समक्ष दिया गया शपथ पत्र वीसिका के साथ सलग्न है।

चाँहददी

उत्तर — रास्ता ।

दक्षिण — स्व० राधा रमण शुक्ल हाल खरीदार दिगार ।

पूरब — आहर ।

पश्चिम — हाल खरीदार श्री विजय कुमार श्रीवास्तव

श्री श्रीवास्तव

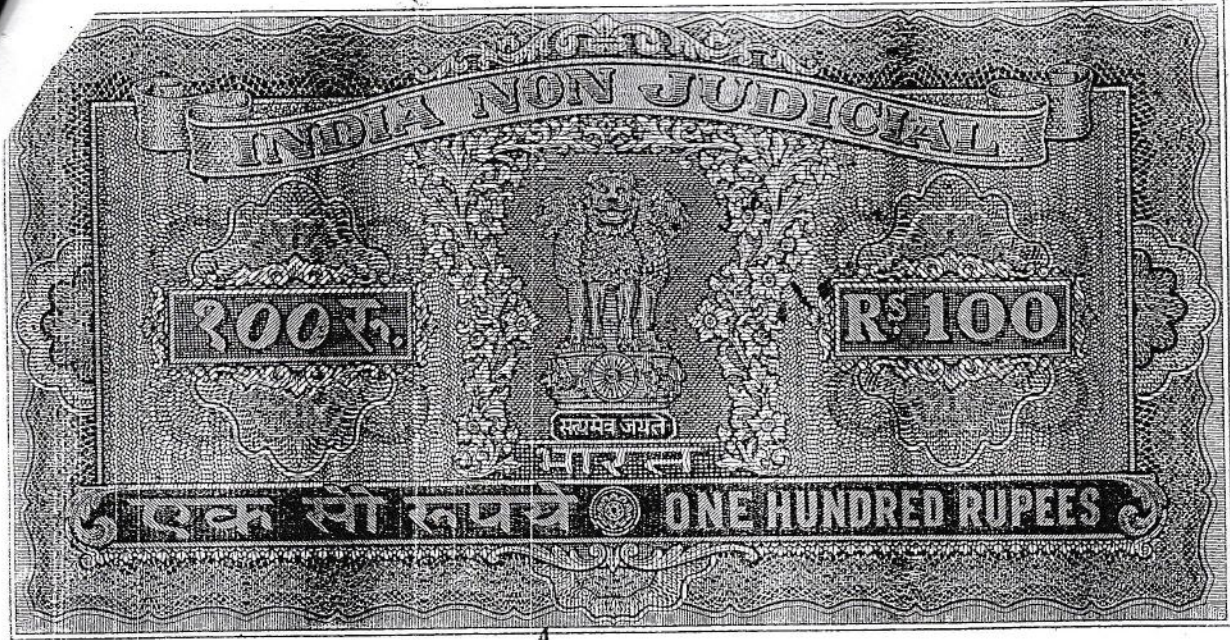
14.7.03

गताह - आर० ल० श० नाथ

राजपूत नूबे लीरा

राजपूत 42 ना

98-9-2003



संदर्भ

विदित हो कि खाना नं० 5 में वर्णित जायदाद (जमीन) को लेख्यकारिणी ने तारीख- 02-07-1992 ई० को नविस्ते श्रीमती अहिल्या-देवी एवं श्रीमती लीलावती देवी (उर्फ) श्रीमती शकुन्तला देवी जौजे- स्व० राधा रमण शुक्ल, साकिन आशोपुर, थाना- दानापुर, जिला- पटना से बैय खरीद किया है, जिसका वोलिका नं० 5170 निबधन केमालिय दानापुर है। बैय खरीदमी के रोज से ही लेख्यकारिणी खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति को हर तरह से अपने कब्जा दखल व अधिकार में रखकर उपभोग करती चली आ रही है। लेख्यकारिणी के अलावे दुसरा कोई भी व्यक्ति खाना नं० 5 के अधिकारी एवं मालिक नहीं है। खाना नं० 5 हर तरह से पाक व साफ तथा ऋण मुक्त है। लेख्यकारिणी खाना नं० 5 को कभी भी किसी के साथ रेहन, बैय, तमसुक किसी तरह कर निबधन नहीं किया है। बिहार सरकार का लगान भी लेख्यकारिणी अपने नाम से रसीद कटा कर चुकाती चली आ रही है। लेख्यकारिणी को मकान बनाने एवं अन्य जरूरी काम के लिए रुपयों की सख्त जरूरत है। बिना खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति को बेचे हुए भी लेख्यकारिणी को रुपयों का प्रबन्ध नहीं हो सकता है।

सत्यमेव जयते

14-7-03

अतः लेख्यकारिणी ने अपने खुशी वी खादिस से अपने होश वी हवाश में अपने हानि-लाभ को बखुबी सोच विचार कर स्वस्थ मानसिक अवस्था में अच्छे माननीय वी कानूनी मशविरान से राय सलाह लेकर खाना न० 5 में वर्णित सम्पत्ति को मो० 72,000/- (बहत्तर हजार रूपया) मात्र में लेख्यधारी (खरीदार) के हाथ एवं साथ बेचा वी बैयलाकस्मी किया वी कुल रूपया लेख्यकारिणी वीसिकां पर अपना हस्ताक्षर वी निशान बनाने के पहले ही लेख्यधारी से वसुल वी बेवाक पा चुका।

इस प्रकार कुल रूपया पाकर आज से ही लेख्यकारिणी ने अपना कुल कब्जा दखल वी अधिकार स्वामित्व वी स्वत्व खाना न० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर लेख्यधारी को दे दिया कि लेख्यकारिणी के स्थान पर लेख्यधारी हर तरह से काबिज-दखल वी अधिकृत तथा मालिक होकर उपयोग एवं उपभोग करें। अब खाना न० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर लेख्यकारिणी या इनके वारिश्मान का कोई दावा-दाती वी सरोकार बाकी नहीं है, नहीं रहा, नहीं रहेगा, बल्कि सम्पूर्ण हक वी अधिकार, स्वामित्व वी स्वत्व जो खाना न० 5 पर लेख्यकारिणी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता बिककर लेख्यधारी को प्राप्त हुआ कि काबिज-दखल वी अधिकृत तथा मालिक होकर अपना नाम लेख्यकारिणी के स्थान पर

सही है प्रमाणित

14-7-03

द्वारा डा० विजय कुमार श्रीवास्तव

हर जगह जहा-जहा जरूरी समझे बिहार सरकार की जमीन्दारी विभाग की पुस्तिका में दर्ज करा लेवें। इसमें लेख्यकारिणी को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होगा।

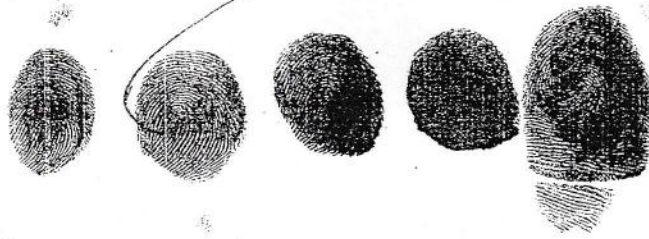
अगर खरीदार किसी तरह लेख्यकारिणी के नुकश हकियत से खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति से बेदखल हो जाये तो लेख्यधारी को हक वो अधिकार है वो होगा कि कुल जरसम्मान सूत्र कानूनी लगाकर लेख्यकारिणी के कुल सम्पत्ति से द्वारा नालिश अदालत कराके खर्चा-हरजा सहित वसुल वो बेवाक करा लेगे। खाना नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर किसी का वारदेन, कर्ज या कोई रूपया का दावा होगा तो उसका भी देनदार लेख्यकारिणी होगे। लेख्यधारी पर उसका कोई दावा नहीं होगा। इसमें लेख्यकारिणी को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होगा। इसलिए निर्विवाद बिकय पत्र लिख दिया कि समय पर प्रमाण रहे वो काम आवें।

सही नीति अनुसार

१५.१.०५

द्वारा सा विजय कुमार श्री वास्तव

श्री वास्तव



849-2
Baderilal

राजेश्वर प्रसाद

प्रमाणित किया जाता है कि मूल बोंसिका एवं द्वितीय प्रति दोनों सात पृष्ठों में तैयार किया गया है जो हू-बहु एक दूसरे के समान हैं एवं लेख्यकारिणी एवं लेख्यधारी के बायें हाथ के अंगुलियों के निशानों में सामने बनाया गया।

दिनांक 14-02-2003 ई

बंड़ी लाल

प्रारूपकर्ता

बंड़ी लाल लाल -

जो इसी हाल में संकल्प

आता - राकेश - पटेल

राजेश्वर प्रसाद

14-7-03

द्वारा श्री विजय कुमार श्री वासव

श्री वासव

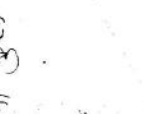
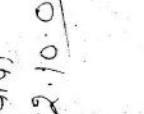


विजय कुमार श्रीवास्तव

अभिप्रेत
: प्रदी लाल
ला.क. 23/10/17
द. 23-10-03

23/10/17
23/10/17
23/10/17

23/10/17 01AA 428816



10/06/17
23/10/17

23/10/17

23/10/17

दारापुर

1365

23/10/17

140861

23/10/17

23/10/17

1. लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता:-

डा० विजय-कुमार श्रीवास्तव पिता-स्व० जयदेव लाल पेशा-
अवकाश प्राप्त डाक्टर साकिन- रामपुर थाना वो पोस्ट-
रामनगर, जिला- बनारस, (यू०पी०) हाल पता- " समर्पण "
न्यू बेली रोड दानापुर, थाना वो पोस्ट- दानापुर, जिला-
पटना भारतीय नागरिक।

विजय कुमार श्रीवास्तव पिता-स्व० जयदेव लाल पेशा-
अवकाश प्राप्त डाक्टर साकिन- रामपुर थाना वो पोस्ट-
रामनगर, जिला- बनारस, (यू०पी०) हाल पता- " समर्पण "
न्यू बेली रोड दानापुर, थाना वो पोस्ट- दानापुर, जिला-
पटना भारतीय नागरिक।

महं



2

2. लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता :-

श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता- स्व० चन्द्रिका लाल पेशा- खेती वो
व्यवसाय, साकिन- गोविन्दपुर, थाना जो पोस्ट- फतुहा
जिला- पटना भारतीय नागरिक।

3. लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद बिक्रय -पत्र (Deed of Absolute sale)

4. मूल्य :-

मो० 68,000/- अड़सठ हजार रूपया मात्र होता है।

5. सम्पत्ति का विवरण:-

मवाजी 8½ डीसमील (साढे आठ डीसमील) भूमि आवासीय
जिसका अधिकार कास्त रैयती कायमी नगदी वाके मौजा-
बबकूरपुर, परगना- फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर
सदर रजिस्ट्री जो जिला पटना। तौजी न०- 5059, थाना न०
35 पैतीसे, खाता न० 81 एकासी, सर्वे खसरा प्लॉट न०-
125 एक सौ चन्वीस में से लगान वार्षिक 1.00 रूपया अलावे
सेस बिहार सरकार द्वारा अचलाधिकारी, दानापुर, अन्दरपटना

श्री विजय कुमार कीर्वाला

22-10-03

गवाह- अरिन्दम नाथ

समय १६.०५.२००३

पटना 22/10/2003



3

विकास प्राधिकार क्षेत्र में स्थित है। इसका जमाबंदी नं० — सन ~~१९०~~ १९० है। यह भूमि खास महाल के बाहर है। यह कि खाना नं० ५ में वर्णित सम्पत्ति को बिक्री खरीद हेतु लेख्यकारी एवं लेख्यधारी ने तारीख— 18-07-2003 ई० को सक्षम पदाधिकारी, (सप-समाहत्ती) परना के कार्यालय में आवेदन दिया है, जिसका क्रमांक 6921/2003 ई० है। साठ दिनों की अवधि समाप्त है। कोई आपत्ति नहीं है। कार्यपालक दण्डाधिकारी, दानापुर के समक्ष दिया गया शपथ पत्र वीसिका के साथ सलग्न है।

चाँहददी

- उत्तर — रास्ता ।
 दक्षिण — स्व० राधा रमण शुक्ल हाल खरीदार दिगर।
 पुरब — खरीदार श्री राजेन्द्र प्रसाद एराजी नौ डीसमील।
 पश्चिम — अनजुल हक हाल में दिगर खरीदार। स्व-
औरंगाबाद नानु श्रीवास्तव

विदित हो कि खाना नं० ५ में वर्णित जायदाद (जमीन) को लेख्यकारी ने तारीख— 02-07-1992 ई० को नविस्ते श्रीमती अहिल्या देवी एवं श्रीमती लीलावती देवी उर्फ श्रीमती

गवाह - अनजुल श्रीवास्तव
 समुप
 नानु श्रीवास्तव
 22/10/03

शकुन्तला देवी जोजे- स्व० राधा रमण शुक्ल, साकिन आशोपुर, थाना- दानापुर, जिला- पटना से बैय खरीद किया है, जिसका वॉसिका न० 5188 निबधन कार्यालय दानापुर है। बैय खरीदमी के रोज से ही लेख्यकारी खाना न० 5 में वर्णित सम्पत्ति को हर तरह से अपने कब्जा देखल वो अधिकार में रखकर सुभोग करते चले आ रहे हैं। लेख्यकारी के अलावे दुसरा कोई भी व्यक्ति खाना न० 5 में वर्णित जायदाद के अधिकारी एवं मालिक नहीं है। खाना न० 5 हर तरह से पाक वो साफ तथा ऋण मुक्त है। लेख्यकारी खाना न० 5 में वर्णित जायदाद को कभी भी किसी के साथ रहन, बैय तमसुक किसी तरह कर निबधन नहीं किया है। बिहार सरकार का लगान भी लेख्यकारी अपने नाम से रसीद कटा कर चुकाते चले आ रहे हैं। लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य जरूरी काम के लिए रुपयों की सख्त जरूरत है। बिना खाना न० 5 में वर्णित सम्पत्ति को बेचे हुए शीघ्र लेख्यकारी को रुपयों का प्रबन्ध नहीं हो सकता है।

अतः लेख्यकारी ने अपने खुशी वो स्वाहिश से अपने होश वो हवाश में अपने हानि-लाम को बखुबी सोच विचार कर स्वस्थ मानसिक अवस्था में, अच्छे माननीय वो कानूनी मशविषान से राय सलाह लेकर खाना न० 5 में वर्णित सम्पत्ति को मो० 68,000/- (अड़सठ हजार रुपयों) मात्र

बिनापुत्रा प्रियाम

22.10.83

मे लेख्यधारी (खरीदार) के हाथ एवं साथ बेचा वो बैयलाकलामी किया वो कुल रुपया लेख्यकारी वोरिका पर अपना हस्ताक्षर जो निशान बनाने के पहले ही लेख्यधारी से वसुल वो बेवाक पा चुका।

इस प्रकार कुल रुपया पाकर आज से ही लेख्यकारी ने अपना कुल कब्जा दरखल वो अधिकार स्वामित्व वो स्वत्व खाना न० ५ में वर्णित सम्पत्ति पर लेख्यधारी को दे दिया कि लेख्यकारी के स्थान पर हर तरह से काबिज-दखल वो अधिकृत तथा मालिक होकर उपयोग एवं उपभोग करे। अब खाना न० ५ में वर्णित सम्पत्ति पर लेख्यकारी या इनके वारिशान का कोई दावा-दावी वो सरोकार बाकी नहीं है, नहीं रहा, नहीं रहेगा, बल्कि सम्पूर्ण हक वो अधिकार, स्वामित्व वो स्वत्व जो खाना न० ५ पर लेख्यकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता बिककर लेख्यधारी को प्राप्त हुआ कि काबिज-दखल वो अधिकृत तथा मालिक होकर अपना नाम लेख्यकारी के स्थान पर हर जगह जहां-जहां जरूरी समझे बिहार सरकार की जमीन्दारी विभाग की पुस्तिका में दर्ज करा लेवे। इसमें लेख्यकारी को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होगा। अगर खरीदार किसी तरह लेख्यकारी के नुक्श हकियत से खाना न० ५ में वर्णित सम्पत्ति से बेदखल हो जाये तो लेख्यधारी को हक वो अधिकार है वो होगा कि कुल जरसमनन सूद कानूनी लगाकर लेख्यकारी के कुल सम्पत्ति से द्वारा नालिश अदालत कराके खर्चा-हरजा सहित वसुल वो

विशेषकर (नवात)

22/6/03

मे



अभिप्रेत

अभिप्रेत

अभिप्रेत

अभिप्रेत

अभिप्रेत

बेबाक करा लेगे। खाना नं० ५ में वर्णित सम्पत्ति पर किसी का वारदेन, कर्ज या कोई रूपया का दावा होगा तो उसको भी देनदार लेख्यकारी होगे। लेख्यधारी पर उसका कोई दावा नहीं होगा। इसमें लेख्यकारी को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होगा। इसलिए निर्विवाद बिक्रय पत्र लिख दिया कि समय पर प्रमाण रहे वो काम आवें।

प्रमाणित किया जाता है कि मूल वीसिका एवं द्वितीय प्रति दोनों छ-छ पृष्ठों में तैयार किया गया है, जो हू-बहु एक दूसरे के समान हैं एवं लेख्यकारी एवं लेख्यधारी के बायें हाथ के अंगुलियों के निशान मेरे सामने बनाया गया।

दिनांक २२-१०-२००३ ई

अभिप्रेत

अभिप्रेत

अभिप्रेत

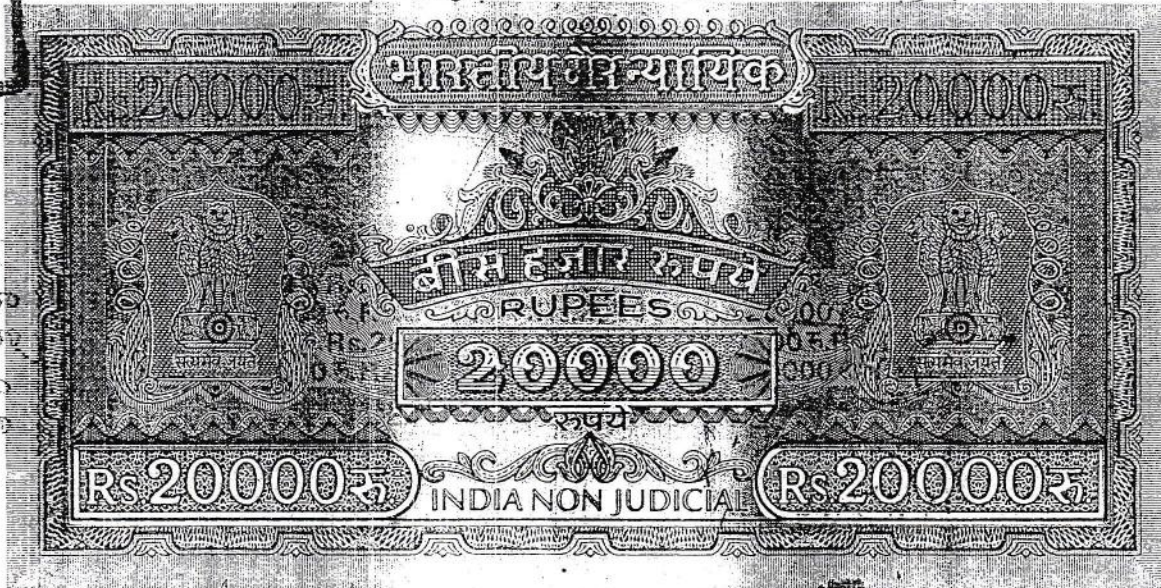
अभिप्रेत

अभिप्रेत

अभिप्रेत

अभिप्रेत

Sale 14000 Dec 55 972



महाराष्ट्र सरकार

690-844-009

02CC 940105

निदेशन विषयक नमूने के अर्जीत और विचार
हस्ताक्षर को धारि के अर्जीत
श्री बाबा, भारतीय समाज्य अधिनियम 1980
श्री अन्वृष्टी १ (२) म ... के अर्जीत
हस्ताक्षर ...
अ निर्माणा यो मुद्रा ...

980
21660

6.9.84

2800
45
250
112
2848.62

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

615

1. लेख्यकारीगण का नाम एवं पूरा पता:-

१. श्री योगेश्वर नाथ श्रीवास्तव

सभी का पिता का नाम

2. ज्ञानेश्वर नाथ श्रीवास्तव

स्वः ओंकार नाथ

3. श्री राजेश्वर नाथ श्रीवास्तव

श्रीवास्तव

4. श्री अखिलेश्वर नाथ श्रीवास्तव

पेशा— नौकरी एवं व्यवसाय, निवासी महल्ला— समर्पण

सगुना बेली-सेड दानापुर, थाना/पोस्ट- दानापुर, जिला-

पटना, भारतीय नागरिक

Executed the Sale deed, read & under
The Contents of the deed, read for
Smith
agreed upon with the Inward
6/3/03



[illegible]



3

सरकार द्वारा अचलाधिकारी, दानापुर अन्तर विकास प्राधिकार क्षेत्र पटना में स्थित है। यह कि खाना नं० 5 में वर्णित भूमि को बिक्री खरीद हेतु लेख्यकारिणी एवं लेख्यधारिणी ने तारीख- 21-01-2004 ई० को सक्षम पदाधिकारी, भू हदबंदी (उप-समाहत्ती) पटना के कार्यालय में आवेदन दिया है, जिसका क्रमांक 690/2004 ई० है। सात दिनों की अवधि समाप्त है। कोई आपत्ति नहीं है। कार्यपालक दण्डाधिकारी दानापुर का शपथ पत्र वारिसिका के साथ संलग्न है। यह जमीन खास महाल के बाहर है।

चौहददी

- उत्तर— श्री ज्योति कुमार सिन्हा वगैरह।
 दक्षिण— श्री मती सौम्या श्रीवास्तव।
 पूरब— खरीदार श्री राजेन्द्र प्रसाद।
 पश्चिम— सर्वे में श्री राम प्रसादी सिंह



Attestation
 Badar Lal

6/1/04

यही चौहददी महाश्री वारिस
 कृपे किरल से। सही कागज 20 रु.
 पत्र कर संग्रह लिखा. कुल
 नं० इजमाल पत्रूल फा. 6.9.04.



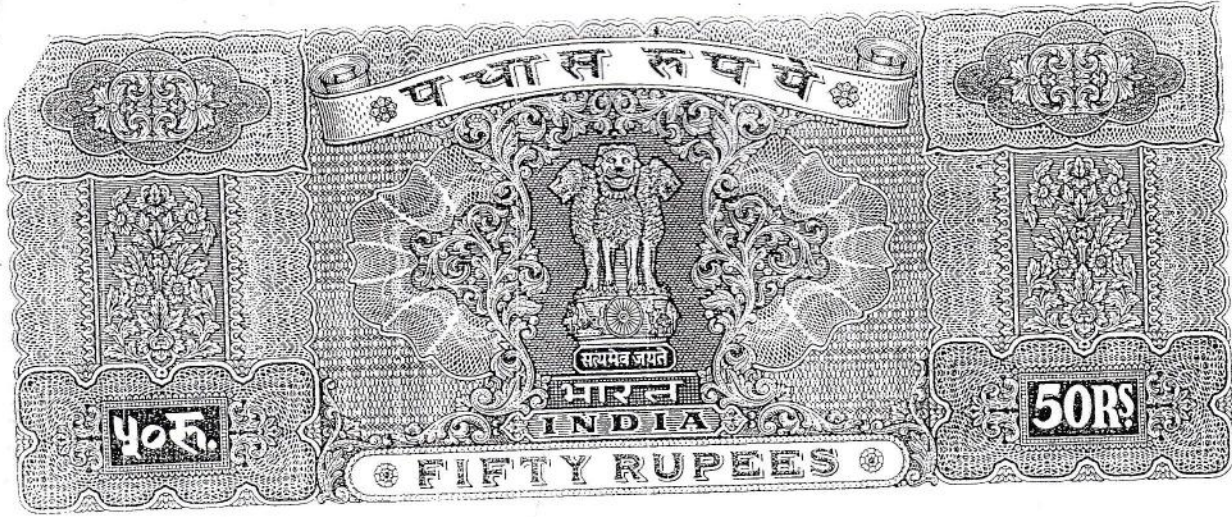
संदर्भ

विदित हो कि खाना नं० 5 में वर्णित जायदाद (जमीन) को तारीख- 30-08-1992 ई० को लेख्यकारीगण के पिता स्व० ओमकार नाथ श्रीवास्तव ने सुश्री सौम्या श्रीवास्तव के साथ नविस्ते श्री शिव नाथ राय एवं श्री सत्येन्द्र कुमार राय पिता- स्व० जमुना राम साकिन- कासिमचक, थाना- दानापुर, जिला- पटना से बैय खरीद किया है। जिसका वसिका नं०- 4908, निबंधन कार्यालय दानापुर है। बाद में लेख्यकारीगण के पिता श्री ओमकार नाथ श्रीवास्तव लेख्यकारीगण को अपना जायज उत्तराधिकारी वो मालिक छोड़कर स्वर्गवास कर गए। अपने पिता के स्वर्गवास के रोज से ही लेख्यकारीगण खाना नं० 5 में वर्णित जायदाद को हर तरह से अपने कब्जा बखल वो अधिकार में रखकर तथा मालिक होकर उपभोग करते चले आ रहे हैं। लेख्यकारीगण के अलावे दूसरा कोई भी व्यक्ति खाना नं० 5 में वर्णित जायदाद के अधिकारी एवं मालिक नहीं है। खाना नं० 5 में वर्णित जायदाद हर तरह से शुद्ध वो पवित्र तथा ऋण मुक्त है। लेख्यकारीगण खाना नं० 5 में वर्णित जायदाद को कभी



6/102

सर्व अधिकार नाथ श्रीवास्तव
व्यक्ति से ही प्राप्त हुए
पट्टा के समस्त अधिकार पूर्ण रूप
से मालिक व सख्त पक्का।
6-9-2004



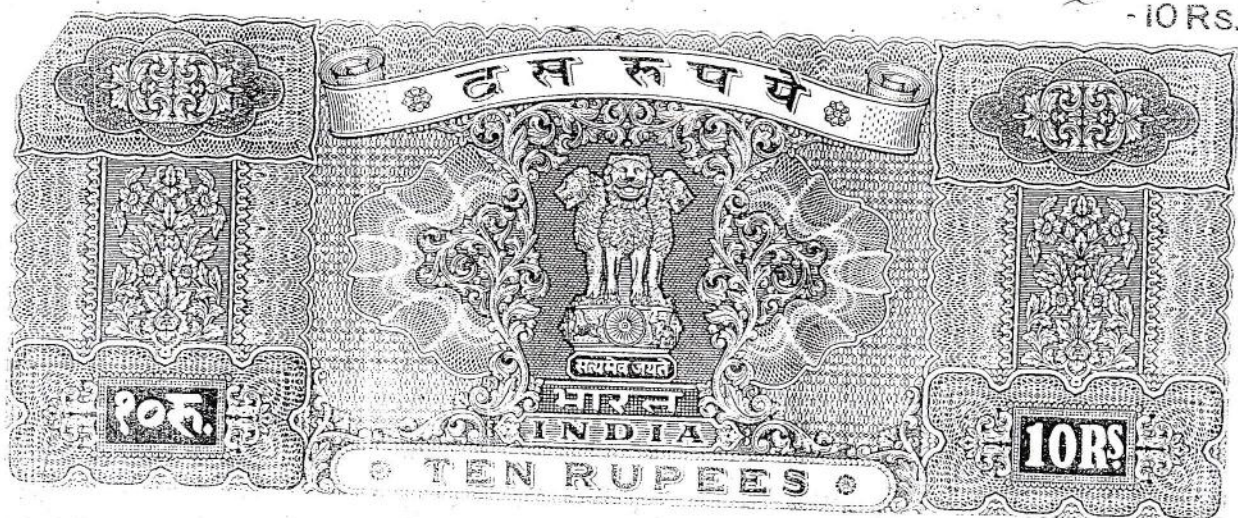
भी किसी के साथ रहन, बैय तमसुक या किसी तरह का निबधन नहीं किया है। लेख्यकारीगण को मकान बनाने एवं अन्य जरूरी काम के लिए रुपयों की सख्त जरूरत है। बिना खाना न० 5 में वर्णित जायदाद को बेचे हुए शीघ्र लेख्यकारीगण को रुपयों का प्रबन्ध नहीं हो सकता है।

अतः लेख्यकारीगण ने अपने खुशी वो खाहिश से अपने होश वो हवाश में अपने हानि-लाभ को बखुबी सोच विचार कर स्वस्थ मानसिक अवस्था में, अच्छे माननीय वो कानूनी मशविरान से राय सलाह लेकर खाना न० 5 में वर्णित जायदाद को मो० 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार रुपया) मात्र में लेख्यधारी (खरीदार) के हाथ एवं साथ बेचा वो बैयलाकलामी किया वो कुल रुपया नगद वीसिका पर अपना हस्ताक्षर वो निशान बनाने के पहले ही लेख्यधारी से वसूल वो बेवाक पा चुका। इस प्रकार कुल रुपया पाकर आज से ही लेख्यकारीगण ने अपना कुल कब्जा दखल वो अधिकार स्वामित्व वो स्वत्व खाना न० 5 में वर्णित जायदाद

Noted
6/5/25

31/5/25
संयुक्त लेखिक
वसुधा
पटना
2-2-2025

2 गाँव -
The
8



पर लेख्यधारी को दे दिया कि लेख्यकारीगण के स्थान पर हर तरह से काबिज-दखिल वो अधिकृत तथा मालिक होकर उपयोग एवं उपभोग करें। अब खाना नं० 5 में वर्णित जायदाद पर लेख्यकारीगण या इनके वारिशान का कोई दावा- दावी वो सरोकार बाकी नहीं है, नहीं रहा, नहीं रहेगा, बल्कि सम्पूर्ण हक वो अधिकार, स्वामित्व वो स्वत्व जो खाना नं० 5 में वर्णित जायदाद पर लेख्यकारीगण को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता बिककर लेख्यधारी को प्राप्त हुआ कि काबिज-दखिल वो अधिकृत तथा मालिक होकर अपना नाम लेख्यकारीगण के स्थान पर हर जगह जहां-जहां जरूरी समझे बिहार सरकार की जमीन्दारी विभाग की पुस्तिका में दर्ज करा लेवे। इसमें लेख्यकारीगण को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होगा।

[illegible]

द्वारा नालिश अदालत कराके खर्चा-हफ्जा सहित वसूल वो
बेवाक करा लेवेगे। इसमें लेख्यकारीगण को कोई आपत्ति
नहीं है, नहीं होगा। इसलिए निर्विवाद बिकय पत्र लिख दिया
कि समय पर प्रमाण रहे वो कंम आवें।



Attest

Badan Lal
6/10/2



21 जेबु 5 लप

प्रमाणित किया जाता है कि मूल वीसिका एवं द्वितीय
प्रति दोनों सात पृष्ठों में तैयार किया गया है जो हू-बहू एक
दुसरे के समान हैं एवं लेख्यकारीगण एवं लेख्यधारी ने
अपने-अपने बायें हाथ के अंगुलियों का निशान मेरे सामने
बनाया।

दिनांक 06-09-2009

बडी लाल
प्रारूपकर्ता

बडी लाल लाल-चौधरी दाल में मंगुल
थागा - मंगुल - पका



Handwritten signature and date 50/5/3

50/5/3

100



05AA 606533

2. लेख्यधारिणी का नाम एवं पूरा पता :-

श्रीमती कुसुम कुमारी देवी धर्मपति- श्री राजेन्द्र प्रसाद
पेशा- गृहणी वो नौकरी, (शिक्षिका) निवास स्थान साकिन-
गोविन्दपुर फतुहा, थाना वो पोस्ट- फतुहा, जिला- पटना
भारतीय नागरिक।

3. लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद बिक्रय - पत्र (Deed of Absolute sale)

4. मूल्य :-

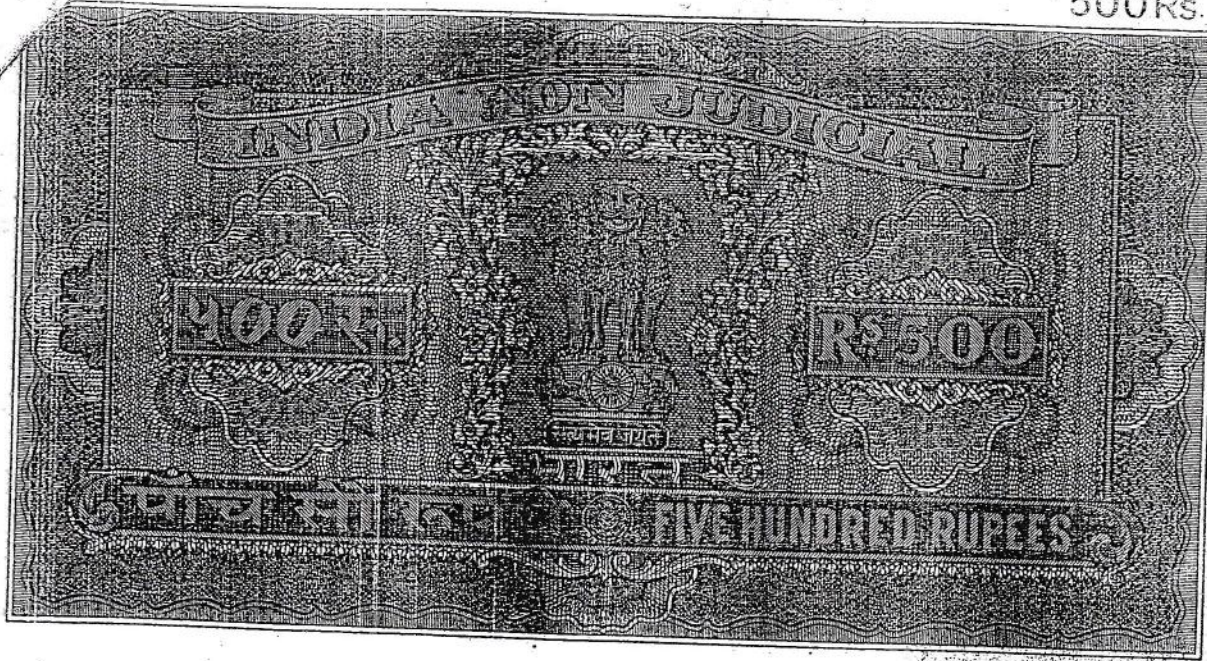
रु० 2,00,000/- दो लाख रुपये मात्र होता है।

5. सम्पत्ति का विवरण:-

मवाजी 10 डीसमील (दस डीसमील) भूमि आवासीय मकान
बनाने के लायक जिसका अधिकार कास्त रैयती कायमी
नगदी वाके मौजा अबबकपुर, परगना फुलवारी, थाना वो
सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना। तौजी
न०- 5050 पाँच हजार छनसठ, थाना न० 35 पैतीस, खाता
न०- 81 एकासी, सर्वे खसरा प्लॉट न०- 125 एक सौ
पच्चीस, नै से लगान वार्षिक 150 रुपये अलावे सेस बिहार

with. Jagdishwar Nath Giridhara
Arpan, Saguna, Bailey Road
10885 Danapur, distt Patna
24.9.04
(SAVANA) S.A. VASTAVA
24.9.04

3
500Rs.



3

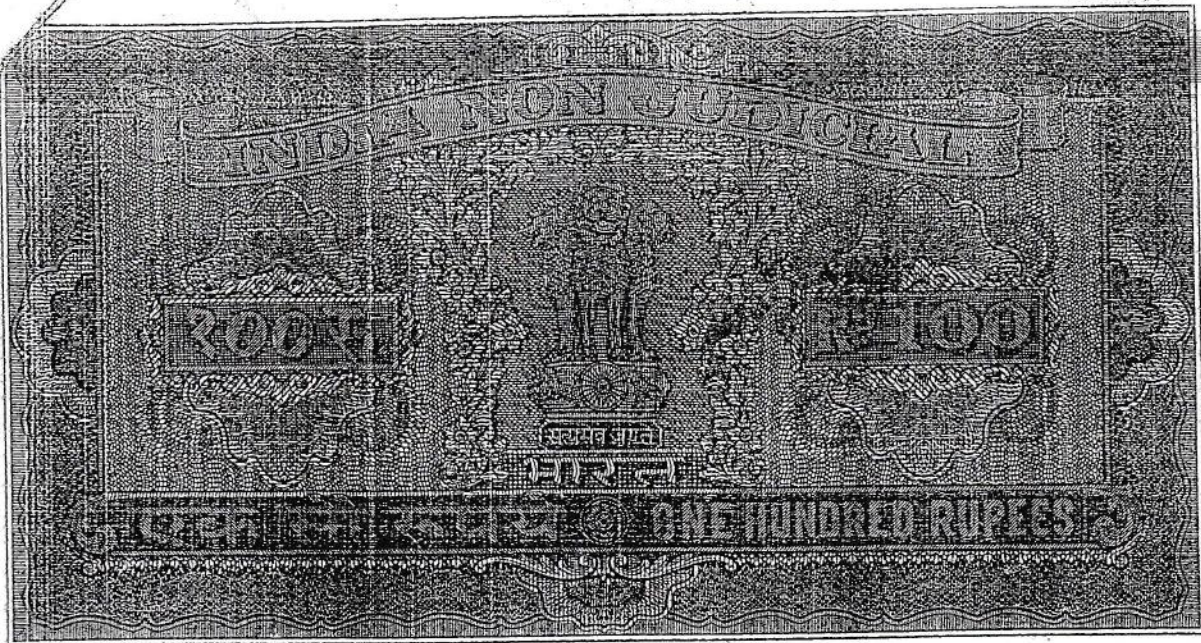
सरकार द्वारा अधिधिकारी, दानापुर अन्दर विकास प्राधिकार क्षेत्र पटना में स्थित है। यह कि खाना न० 5 में वर्णित भूमि को बिक्री खरीद हेतु लेख्यकारिणी एवं लेख्यधारिणी ने तारिख- 21-01-2004 ई० को सक्षम पदाधिकारी, भू हदबंदी (सप-समाहत्ती) पटना के कार्यालय में आवेदन दिया है, जिसका क्रमांक 690/2004 ई० है। साठ दिनों की अवधि समाप्त है। कोई आपत्ति नहीं है। कार्यपालक दण्डाधिकारी दानापुर का शपथ पत्र बोरसिका के साथ संलग्न है। यह जमीन खास महाल के बाहर है। जमाबंदी न०-

January
(JAMUNDA SKI VIKATANA)
24.09.04

बौहददी

उत्तर-श्री राजेन्द्र प्रसाद हाल खरीदार पार्ट प्लॉटनं० 125
दक्षिण- शेख बाबू
पूरब- श्री विजय कुमार श्रीवास्तव वगैरह हाल खरीदार श्री राजेन्द्र प्रसाद।
पश्चिम- सर्वे में श्री राम प्रसादी सिंह

W.P. - Dhananjay Kumar
Village - Raybanspur (Chandwar)
P.S. - Sahpura
Dist - Patna
24-09-04



संदर्भ

विदित हो कि खाना न० 5 में वर्णित जायदाद (जमीन) को लेख्यकारिणी ने तारीख- 30-06-1992 ई० को श्री ओमकार नाथ श्रीवास्तव के साथ नविस्ते श्री शिव नाथ राय एवं श्री सत्येन्द्र कुमार राय, पिता- स्व० जमुना राय साकिन- कासिमचक, थाना- दानापुर, जिला- पटना से बैय खरीद किया है। जिसका वसिका न०- 4906, निबन्धन कार्यालय दानापुर है। बैय खरीदगी के रोज से ही लेख्यकारिणी खाना न० 5 में वर्णित जायदाद को हर तरह से अपने कब्जा दखल वो अधिकार में रखकर तथा मालिक होकर सपभोग करती चली आ रही है। लेख्यकारिणी के अलावे दूसरा कोई भी व्यक्ति खाना न० 5 में वर्णित जायदाद के अधिकारी एवं मालिक नहीं है। खाना न० 5 में वर्णित जायदाद हर तरह से शुद्ध वो पवित्र तथा ऋण मुक्त है। लेख्यकारिणी खाना न० 5 में वर्णित जायदाद को कभी भी किसी के साथ रहन, बैय, तमसुक या किसी तरह का निबन्धन नहीं किया है। लेख्यकारिणी अपने नाम से रसीद कटाकर बिहार सरकार का लगान चुकाती चली आ रही है।

Samy
(SAUNDA RIVASTAVA)
24.09.04

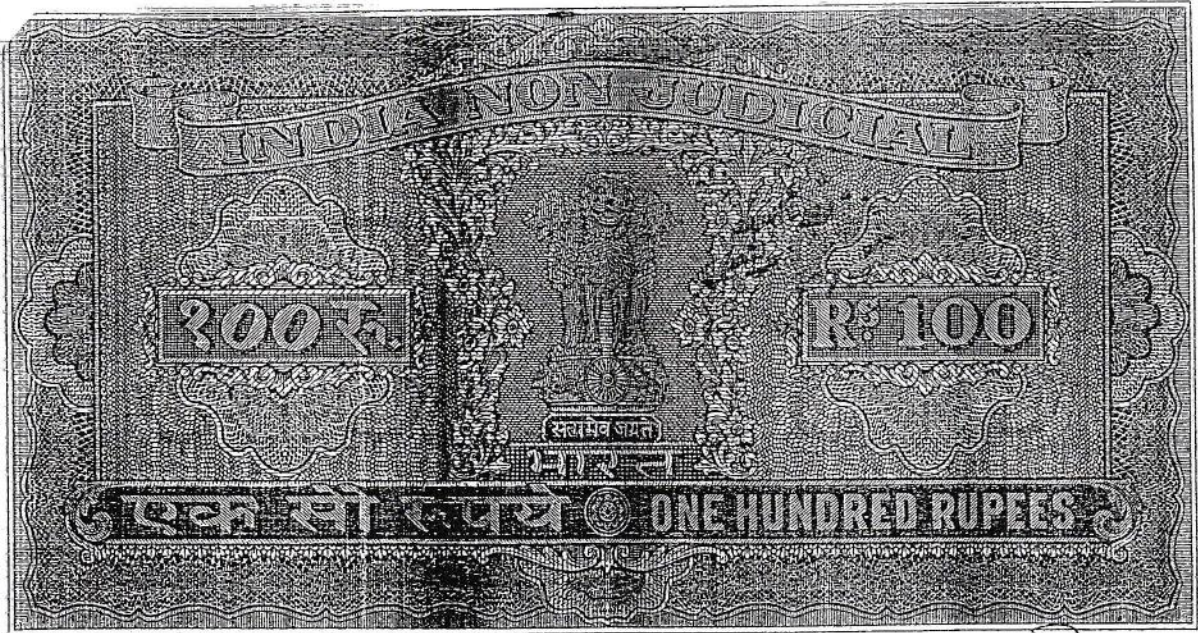


5

लेख्यकारिणी को मकान बनाने एवं अन्य जरूरी काम के लिए रुपयों की सख्त जरूरत है। बिना खाना न० 5 में वर्णित जायदाद को बेचे हुए शीघ्र लेख्यकारिणी को रुपयों का प्रबन्ध नहीं हो सकता है।

अतः लेख्यकारिणी ने अपने खुशी व ख़ादिश से अपने होश व हवाश में अपने हानि- लाभ को बखुबी साँच विचार कर स्वस्थ मानसिक अवस्था में, अच्छे माननीय व कानूनी मशविशान से राय सलाह लेकर खाना न० 5 में वर्णित जायदाद को मो० 2,00,000/- (दो लाख रुपया) मात्र में लेख्यधारिणी (खरीदाश) के हाथ एवं साथ बेचा व बेयलाकलामी किया व कुल रुपया नगद वीसका पर अपना हस्ताक्षर व निशान बनाने के पहले ही लेख्यधारिणी से वसूल वी बेवाक पा चुकी। इस प्रकार कुल रुपया पाकर आज से ही लेख्यकारिणी ने अपना कुल कब्जा दखल व अधिकार स्वामित्व व स्वत्व खाना न० 5 में वर्णित जायदाद पर लेख्यधारिणी को दे दिया कि लेख्यकारिणी के स्थान पर हर तरह से काबिज-दखल व अधिकृत तथा मालिक होकर उपयोग एवं उपभोग करे।

Samrath
(SAMRATH SRI VASTU)
24.09.04



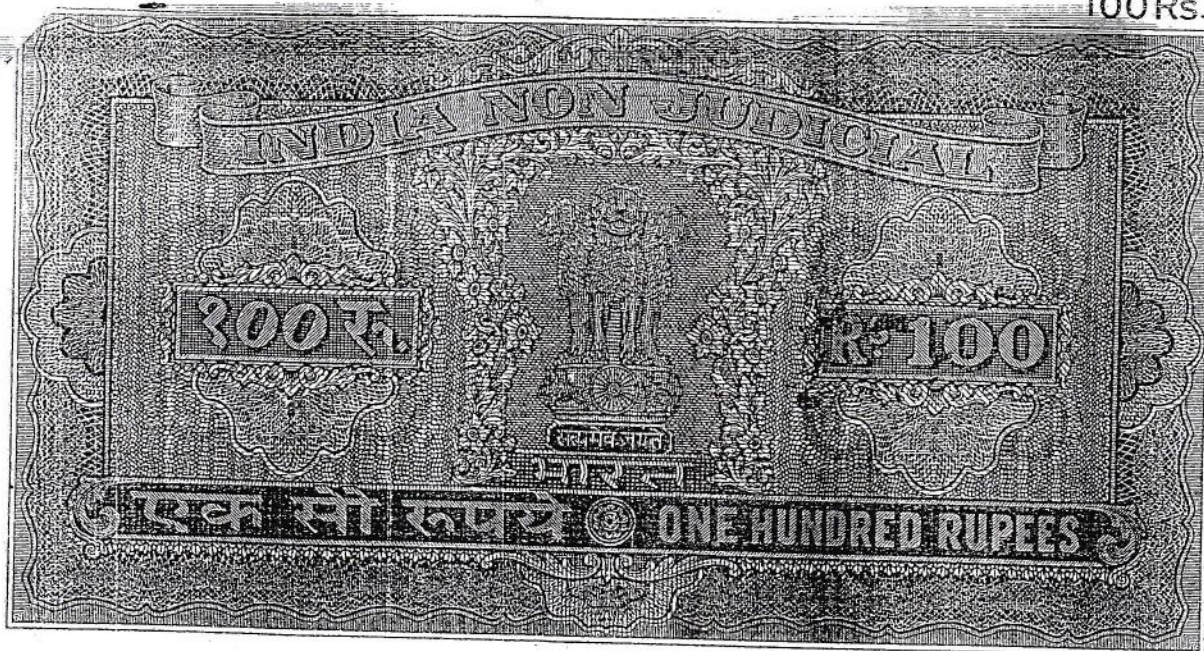
6

अब खाना न० ५ में वर्णित जायदाद पर लेख्यकारिणी या इनके वारिषान का कोई दावा- दावी वो सरोकार बाकी नहीं है, नहीं रहा, नहीं रहेगा, बल्कि सम्पूर्ण हक वो अधिकार, स्वामित्व वो स्वत्व जो खाना न० ५ में वर्णित जायदाद पर लेख्यकारिणी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता बिकर लेख्यधारिणी को प्राप्त हुआ कि कावेज-दखिल वो अधिकृत तथा मालिक होकर अपना नाम लेख्यकारिणी के स्थान पर हर जगह जहा-जहा जरूरी समझे बिहार सरकार की जमीन्दारी विभाग की पुस्तिका में दर्ज करा लेवे। इसमें लेख्यकारिणी को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होगा।

अगर खरीदार किसी तरह लेख्यकारिणी के नुकश हकियत से खाना न० ५ में वर्णित जायदाद से बेदखल हो जाये तो हक वो अधिकार है वो होगा कि कुल जरसम्भन सूद कानूनी लगाकर लेख्यकारिणी के अनुपातिक सम्पत्ति से द्वारा नालिश अदालत कराके खर्चा-हरजा सहित वसुल वो बेवाक करा लेवेगे। इसमें लेख्यकारिणी को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होगा। इसलिए निर्विवाद बिक्रय पत्र लिख दिया कि समय पर प्रमाण रहे वो काम आवे।

Saunva
(SAUNVA SKIVASTAVA)
24.09.04

7
100Rs.



शुभम कुमार देवी
आभिमोचनित

व.डी. लाल

बहाल

दिनांक २४-०९-२००४

कोर्ट के सामने

दिनांक २४-०९-२००४



शुभम कुमार देवी

प्रमाणित किया जाता है कि मूल जोसिका एवं द्वितीय प्रति दोनों सात पृष्ठों किया में तैयार किया गया है, जो हू-बहू एक दुसरे के समान है एवं लेख्यकारिणी एवं लेख्यधारिणी ने अपने-अपने बायें हाथ के अंगुलियों का निशान मेरे सामने बनाया।

दिनांक २४-०९-२००४ ई

व.डी. लाल

प्रारूपकर्ता

Samir
(SAMIR SRIVASTAVA)

24.09.04.

व.डी. लाल साहू चांदमारी हाल में मंगपुरा-
आगा - दानापुरा - पटना /

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

श नम्बर - 5315/साल - 2016-17 हल्का नम्बर 5 अंचल - दानापुर
 - बवकरपुर राजस्व थाना नम्बर - 35 जिला - पटना
 में जमीन रकबा - प्राप्त का जरिया - नामान्तरण (किरायेदारी)
 रशमन - केबाला - तिथि -

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 712
श्री राजेन्द्र प्रसाद रजि. स्व. चन्द्रिका प्रसाद लाल 10 गोलीन्दपुर, थाना-फतुहा पटना	81	125	0.24 1/2	15.00	अ.अ. दानापुर दाखिलदस्त अवदन प्राप्त हुआ जैनो परान्त पाया कि पंजी II पर आवेदिका के स्व. पंति का नाम दर्ज है, आवेदिका अपने पति के मृत्यु उपरान्त अपने मास भूमि का नामान्तरण नामान्तरण कराया गया है। पति विधित भूमि 2 गली है, श.भ. हल्कादी, भू.पान, भू. अग्नि के मुक्त है, एवं भूमि आवेदिका के दखल - कर में है। अतः आम महल पर सूच्यो परान्त कोई आफती दर्जन हो तो आवेदिका के नाम नामान्तरण सूच्यो की स्वीकृती दी जा सकती है।
बचा हुआ रकबा	✓	✓	✓	✓	अतः आम महल पर सूच्यो परान्त कोई आफती दर्जन हो तो आवेदिका के नाम नामान्तरण सूच्यो की स्वीकृती दी जा सकती है।
जमाबंदी रैयत का नाम श्री गौरी कुसुम कुमारी देवी स्व. राजेन्द्र प्रसाद गोलीन्दपुर, थाना-फतुहा पटना	81	125	0.24 1/2	15.00 अगले	अ.अ. दानापुर दाखिलदस्त अवदन प्राप्त हुआ जैनो परान्त पाया कि पंजी II पर आवेदिका के स्व. पंति का नाम दर्ज है, आवेदिका अपने पति के मृत्यु उपरान्त अपने मास भूमि का नामान्तरण नामान्तरण कराया गया है। पति विधित भूमि 2 गली है, श.भ. हल्कादी, भू.पान, भू. अग्नि के मुक्त है, एवं भूमि आवेदिका के दखल - कर में है। अतः आम महल पर सूच्यो परान्त कोई आफती दर्जन हो तो आवेदिका के नाम नामान्तरण सूच्यो की स्वीकृती दी जा सकती है।

Certified to be true Copy
 20/01/2017
 Authorised Officer

Sch. XIV.—F.No. 180 V

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल। नाम मौजा मय

थाना वो थाना नम्बर

वि०स०मु० पटना।

W.P फरद मालकी / फरद रैयती।

नाम रैयत मय उत्तियत जमाबन्दी

वो सकुनत। नम्बर

X

105

982

00567943

कानापुर 32 नवम्बर 32 श्रीमती कुसुम कुमारी

अराजी नवम्बर अराजी भावली 40 तफसील हिसाब लगान भावली।

0. 10. 32 श्रीमतेन्द्र प्रसाद साह गोविन्दपुर फतुहा पटना

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत	सालाना	बकाया				हाल	व्याता
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
2014-2015							
माल- (नकदी)	9.00				2.00	9.00	29
गुजारी (भावली)	0.22				0.22	0.22	लगातार
सेस	0.20				1.00	0.20	124
*सुद	0.20				1.00	0.20	
मुतफरकात	0.20				0.20	0.20	
मीजान	2.32				8.46	2.32	

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत	सालाना	बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
2014-2015							
माल- (नकदी)	9.00				2.00	1.00	
गुजारी (भावली)	0.22				0.22	0.22	
सेस	0.20				1.00	0.20	
*सुद	0.20				1.00	0.20	
मुतफरकात	0.20				0.20	0.20	
मीजान	2.32				8.46	2.32	2.32

(1) मीजान कुल (तपजों में) — खात खजाना वेंचरिस पैसा मात्र

(2) नाम देहिन्दा — 24

(3) कुल बकाया — 24

दस्तावेज जो तारीख जमला तहसील कुनि

* खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर एक पर्सिफिकेट जारी हो) शुद्ध नहीं किया जाता है।

24.2.15

Dist. XIV—F. No. 180V. 10-1 दि० 10 प्रेस, बदा।
 रसीद मालगुजारी। कर मालकी/कर रसती।
 नाम सकल। नाम मौजा मय नाम रसत मय बलिदयत जपाब दो
 बाना वो बाना नम्बर। वो सकुनत। नम्बर।

मालगुजारी 1998 414419
 34 श्रीमती कुसुमा कुमारी देवी
 अराजी नगदी अराजी भावली तफसील हिसाब लगान भावली।

0-28 डी। स्व. गौरी प्रसाद सा. गोपी लाल अना-
 मोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	दो वर्ष।	एक वर्ष।	हाल।	
2098-99						
माल- (नगदी)	98-00					98-00
गुजारी (भावली)	98-					98-
सेस ...	98-					98-
सुद ...	98-					98-
मुदकरकात ...	98-					98-
मीजान	98-00					98-00

खाता
 29
 124

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत।	बकाया				मोताबल हाल।	अधिक
	तीन वर्ष से ज्यादा।	दो वर्ष।	एक वर्ष।	हाल।		
2098-99						
माल- (नगदी)					98-00	
गुजारी (भावली)					98-	
सेस ...					98-	
सुद ...					98-	
मुदकरकात ...					98-	
मीजान अदायकारी					98-00	98-00

- (1) मीजान कुल (लफजों में)
- (2) नाम देहिन्दा - 24/2
- (3) कुल बकाया -

पन्धर रूपया मात्र

बास बहाक का बकाया मालगुजारी पर बिलान देह-कामों पर बिन पर कि बलिदयत करी हों) दूर नहीं किया जाता है।

दा० 9/7/98 4318/2098-99

हस्ताक्षर